



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022022-233253
CG-DL-E-09022022-233253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 9, 2022/माघ 20, 1943

No. 518]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022/MAGHA 20, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2022

सं. 54/2015-2020

विषय:— आईटीसी (एचएस), 2022—अनुसूची-1 (आयात नीति) की अधिसूचना।

का.आ. 537(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 28 मार्च, 2021 के वित्त अधिनियम, 2021 और दिनांक 29.12.2021 के शुद्धिपत्र के साथ समकालिक बनाते हुए 'भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) 2022 [आईटीसी (एचएस) 2022]' को अधिसूचित करती है।

2. अध्याय-वार नीतिगत शर्त में परिवर्तन/संशोधन अनुलग्नक-I पर है।

3. वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार आईटीसी (एचएस) कोडों की सूची में शामिल की गई/हटाई गई/संशोधित की गई/विभाजित/विलयित की गई मदें अनुलग्नक-II पर है।

4. वित्त अधिनियम, 2021 के अनुसार खंड-वार टिप्पणी, अध्याय-वार मुख्य टिप्पणी, अनुपूरक टिप्पणी, अध्याय शीर्षक, उप-शीर्षक और आईटीसी (एचएस) कोडों के विवरण में परिवर्तन/संशोधन अनुलग्नक-III पर है।

5. अनुलग्नक-I, II और III सहित अद्यतित आईटीसी (एचएस), 2022 डीजीएफटी की बेवसाइट (<https://dgft.gov.in>) पर उपलब्ध होगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस), 2022—अनुसूची-I (आयात नीति) को वित्त अधिनियम, 2021 के साथ समकालिक बनाते हुए अधिसूचित किया गया है। एचएस कोड 8806 के तहत सीबीयू/सीकेडी/एसकेडी फार्म में ड्रोन की आयात नीति शोध एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों हेतु छूट के साथ 'निषिद्ध' है। ड्रोन के पूर्णों का आयात 'मुक्त' होगा। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/27/एम-21/पीसी II(क)/ई-30106]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2022

No. 54/2015-2020

Subject: Notification of ITC (HS), 2022- Schedule-1 (Import Policy).

S.O. 537(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (as amended from time to time) read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Central Government hereby notifies 'Indian Trade Classification (Harmonised System) 2022 [ITC(HS)2022]' in sync with the Finance Act, 2021 dated 28th March, 2021 and Corrigenda dated 29.12.2021.

2. The modifications/amendments in the Chapter-wise Policy Conditions is at Annexure-I.
3. The List of ITC(HS) codes introduced/deleted/amended/split/merged as per the Finance Act, 2021 is at Annexure-II.
4. The modifications/amendments in the Section Notes, Chapter-wise Main Notes, Supplementary Notes, Chapter heading, sub-headings and description of ITC(HS) codes as per the Finance Act, 2021 is at Annexure-III.
5. The updated ITC(HS) 2022 along with Annexure-I, II & III shall be available on the website of DGFT (<https://dgft.gov.in>).

Effect of this Notification: ITC(HS) 2022 Schedule-1 (Import Policy) is notified in sync with the Finance Act, 2021. Import policy of drones in CBU/CKD/SKD form under HS Code 8806 is 'Prohibited' with exceptions provided for R&D, Defence and Security purposes. Import of drone components shall be 'Free'. This shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/27/AM-21/PC.II(A)/E-30106]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.